तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.85/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
16.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कान्तिलाल माली पुत्र नरसाराम माली, निवासी– सीनीयर स्कूल के सामने सोनेला, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म दिनेश किराणा स्टोर, शीतल नगर, रेवदर–मण्ड़ार हाईवे, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 22.10.2021 को फर्म दिनेश किराणा स्टोर, शीतल नगर, रेवदर–मण्ड़ार हाईवे, मण्ड़ार में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल माली पुत्र नरसाराम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) का नमूना संख्या S-1500 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण प्रमरण पत्र संख्या 174F/FSSA/2022 दिनांक 24.5.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 14.8.2024 को प्रतिवादी कान्तिलाल माली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने यह अनुरोध किया कि उक्त Ghee (Vishwa brand) का निर्माण व पैकिंग उसके द्वारा नही की गई है, इसलिये इसमें निर्माता जिम्मेदार है। यह कि घी के क्रय का बिल उसके पास नही है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 22.10.2021 को फर्म दिनेश किराणा स्टोर, शीतल नगर, मण्डार–रेवदर हाईवे, मण्डार में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी विक्रेता प्रतिवादी कान्तिलाल माली पुत्र नरसाराम माली, निवासी– सीनीयर सैकण्डरी स्कूल, सोनेला, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही से दिनेश किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) के 24 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) के 4 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर, कार्मिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय किये ... लेबल तैयार कर लेबल पर .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला ...
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.85/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1500, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल माली एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Ghee (Vishwa brand) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1500 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल माली पुत्र नरसाराम माली व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल माली व उक्त गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीतसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 22.10.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म दिनेश किराणा स्टोर, शीतल नगर, मण्डार–रेवदर हाईवे, मण्ड़ार में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल माली पुत्र नरसाराम माली से खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) का नमूना संख्या S-1500 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./711/Act/2021/8... दिनांक 16.11.2021 में अमानक .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:14 IST
Reason: SelfAttested

न्याया. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.85/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

(sub-standard) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) के द्वितीय नमूना भाग को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्देशिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण प्रमरण पत्र संख्या:174F/FSSA/2022 दिनांक 24.5.2022 में खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) का नमूना संख्या S-1500 अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कान्तिलाल माली द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Vishwa brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कान्तिलाल माली पुत्र नरसाराम माली, निवासी– सीनीयर सैकण्डरी स्कूल, सोनेला, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म दिनेश किराणा स्टोर, शीतल नगर, मण्डार–रेवदर हाईवे, मण्ड़ार पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कान्तिलाल माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.9.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सोपला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:14 IST
Reason: SelfAttested